

आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971(समय समय पर संशोधित) के नियम 24 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2026-27 की दिनांक 16.09.2026 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में सम्पन्न बैठक की अभिशंषा पर निम्नांकित कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारियों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर उनके समक्ष अंकित रिक्ति उपलब्धता तिथि से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	वर्ग	रिक्ति दिनांक
1.	कल्पना बंसल		01.04.2026
2.	सोनाली जैन		01.04.2026
3.	वशानाराम देवासी		01.05.2026
4.	सुमन कपूरिया		01.06.2026
5.	संजय व्यास		24.06.2026
6.	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता		24.06.2026
7.	आलोक जैमन		24.06.2026
8.	मुहम्मद इकबाल		24.06.2026
9.	अभिषेक तिवाड़ी		24.06.2026
10.	विजय सिंह		24.06.2026
11.	महेन्द्र सिंह चाहर		24.06.2026
12.	पंकज शर्मा		24.06.2026
13.	विजय कुमार मालव		24.06.2026
14.	हेमा शर्मा		24.06.2026
15.	राजीव मिठा		24.06.2026
16.	भुवनेश वशिष्ठ		24.06.2026
17.	गणपतराम	दिव्यांगजन	24.06.2026
18.	ठाकुरदास महावर	अजा	24.06.2026
19.	विमल कुमार जैन	दिव्यांगजन	24.06.2026
20.	राजेन्द्र कुमार मेघवंशी	अजा	24.06.2026
21.	ममता चौहान	अजा	24.06.2026
22.	नरेन्द्र परिहार	अजा	24.06.2026
23.	महेश दायमा	अजा	24.06.2026
24.	देवेन्द्र कुमार बैरवा	अजा	24.06.2026
25.	हिमांशु लोदी	अजा	24.06.2026
26.	सेवन्त कुमार धनवन्त	अजा	01.07.2026

उपरोक्त अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर, इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक क्रमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का कार्यभार सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इन पदों के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में आवश्यकतानुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।

उपरोक्त तालिका में क्र.सं-4 पर अंकित श्रीमती सुमन कपूरिया के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने के कारण कार्मिक(क-2)विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के संदर्भ में इनका वेतन निर्धारण कर इनको आगामी तीन वार्षिक वृद्धियाँ काल्पनिक रूप से देय होगी। काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं होगा।

यह पदोन्नतियाँ माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी.रिट पिटीशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य के अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त(कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


विशिष्ट शासन सचिव, वित्त(कर)